चोरी का प्रयास कर रहे दो नाबालिग काबू

चंडीगढ़ : मनीमाजरा स्थित एक शोरूम में चोरी का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने दो नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हे बाल गृह सुधार भेज दिया गया है। पुलिस को दी शिकायत में शोरूम के मालिक मनीश बजाज ने बताया कि उनकी मनीमाजरा स्थित एससीओ नंबर 828 में शॉप है। देर-रात करीब 12 बजे शोरूम के पिछले हिस्से से दो चोर घुसकर बिजली का सामान चोरी कर रहे थे। इस दौरान वहां पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, जिससे चोर वहां से फरार हो गए। मनीमाजरा थाना कार्यकारी प्रभारी रंजीत सिंह ने बताया कि जांच कर रहे हैं।

Dainik Jagran Dt: 05/02/2018

रोड सेफ्टी पर कार्यशाला का आयोजन

चंडीगढ़। सेक्टर-40 स्थित कम्युनिटी सेंटर फेडरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन (फोसवा) की ओर से रोड सेफ्टी जागरूकता पर रविवार को सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप चंडीगढ़ के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया गया। फोसवा के प्रधान वीएन शर्मा ने बताया कि इस वर्कशॉप में 70 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें वार्ड नंबर नौ की पार्षद गुरबख्श रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

सिटीजन अवेयरनेस ग्रुप के चेयरमैन सुरेंद्र वर्मा ने लोगों को सड़क पर पैदल चलने व वाहन चलाने के नियमों का विस्तार से जानकारी दी। एरिया पार्षद गुरबख्श रावत ने भी यातायात के नियमों का पालना करने का आग्रह किया। जनसभा को हेमंत उपाध्याय ने रोड सेफ्टी की नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई। ब्यूरो

Amar Ujala Dt: 05/02/2018

More challans to drunk drivers, less mishaps in 2017

Pawan.tiwari1
@timesgroup.com

Chandigarh: Traffic police had challaned more than 6,000 motorist for mixing driving with drinking in the city in 2017. This was the highest count of challans issued for drink driving in the city so far. The city has also recorded 107 casualties due to road accidents the same year, which is the lowest in last five years.

Traffic cops boasted that their strictness towards restricting such illegal activities has worked well as the casualties rate too has come down.

Data shows that traffic police challaned 6,663 drunk motorists last year, whereas they had challaned 4,667 drunk drivers in 2016. 4,052 people were issued challans for driving after consuming liquor from different parts of city in 2015, while the traffic cops found 4,903 and 4,789 drunk drivers behind the wheels in 2014 and 2013 respectively.

Since, the joining of Shashank Anand as SSP UT (traffic) in July 2017, police have increased the number of hours, spots and days of setting anti-drunken nakas in city.

DSP (traffic) Yashpal Vinayak said the main reason behind the fatal accidents during night hours is the trend of mixing driving with drinking. Traffic police have increased the numbers of spots of anti-drunken nakas in the city. With this, police have been able to reduce the number of fatal late-night accidents in the city, he said. Now, people think twice before driving on roads after consuming liquor, which has hence helped to bring down the frequency of accidents, he added.

Police generally set up nakas near the discotheques, pubs, hotels and restaurants to catch the drunk drivers.

On the New Year Eve, traffic police caught 203 drunk drivers, which was the highest issuance of challans to drunk drivers in a day in the city. Now, police have also started suspending licences of the drivers who are caught drunk while driving.

HIGHEST NO. OF PEOPLE FINED

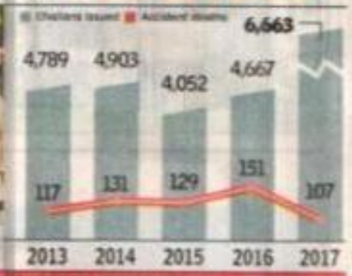

WHAT ARE THE PUNISHMENTS?

As per Motor Vehicles Act, a drunk driver can be sentenced to six-month jail or charged Rs 2,000 as fine or both for their first offence. There is also a provision of two-year jail or a fine of Rs 3000 or both for subsequent offence within three years of the previous offence. In city, the local court has awarded maximum sentence till the rising of the court and now, police have also been started suspending licences of the violators, as per the recommendations of the apex court's road safety committee.

Times of India Dt:05-02-2018

सब्जी मंडी में जुआ खेलते 3 दबोचे

चंडीगढ़, 4 फरवरी (सुशील राज): जुआ खेल रहे तीन लोगों को पुलिस ने सैक्टर-26 स्थित

सब्जी मंडी से दबोचा। आरोपियों की पहचान मोहम्मद आशिफ, दर्शन पाल और रतन सिंह के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उनके पास से 4500 रुपए बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंबलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सैक्टर-26 थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सैक्टर-26 स्थित ग्रेन मार्कीट के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। छापे के दौरान पुलिस को मोहम्मद आशिफ, दर्शन पाल और रतन सिंह जुआ खेलते हुए मिले।

पंजाब केसरी ई-पेपर Mon, 05 F epaper.pu

शराब पीकर हंगामा करने वाले 15 दबोचे

चंडीगढ़, 4 फरवरी (सुशील राज): शहर के अलग-अलग जगह सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर हंगामा करने वाले 15 लोगों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सैक्टर-11 थाना पुलिस ने एक, सैक्टर-17 थाना पुलिस ने एक, सैक्टर-19 थाना पुलिस ने एक, इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने दो, मनीमाजरा थाना पुलिस ने तीन, मौलीजागरां थाना पुलिस ने एक, सैक्टर-31 थाना पुलिस ने दो, सैक्टर-36 थाना पुलिस ने एक, सैक्टर-39 थाना पुलिस ने दो और मलोया थाना पुलिस ने एक शराबी को काबू किया है। अलग-अलग थाना पुलिस ने उक्त शराबियों पर केस दर्ज कर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया।

पंजाब केसरी ई-पेपर Mon, 05 epaper.

शोरूम में चोरी करते 2 नाबालिग पकड़े

चंडीगढ़, 4 फरवरी (सुशील राज): मनीमाजरा स्थित शोरूम से बिजली का सामान चोरी करने की कोशिश करने वाले दो नाबालिगों को सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नोएडा निवासी शोरूम मालिक मनीष बजाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देर रात करीब 12 बजे शोरूम के पीछे से दो नाबालिग शोरूम में घुस गए और बिजली का सामान चोरी करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मनीमाजरा थाने के कार्यवाहक प्रभारी रणजीत सिंह ने बताया कि दो नाबालिगों के खिलाफ मामला दर्जकर लिया है।

पंजाब केसरी ई-पेपर Mon, 05 F
epaper.pu

338 लोगों ने जाना केस का स्टेटस

चंडीगढ़, 4 फरवरी (सुशील) :एफ.आई.आर. दर्ज करवाने और शिकायत देने वाले लोगों ने रविवार को पुलिस स्टेशन

और अन्य यूनिटों में अपने केस के स्टेटस की जानकारी हासिल की। नो यूअर केस की योजना के तहत 338 लोगों ने अपने केसों की जानकारी हासिल की। इस दौरान पुलिस स्टेशनों में थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज, साइबर सैल इंचार्ज, ट्रैफिक इंस्पैक्टर और साइबर इंचार्ज सुबह से अपने-अपने यूनिटों में लोगों को उनके केसों की जानकारी देने के मौजूद रहे। पुलिस ने दर्ज एफ.आई.आर. और शिकायतों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई।

पंजाब केसरी ई-पेपर Mon, 05
epaper.